34

लोक सभा में मतदान तथा मत-विभाजन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें लोक सभा में मतदान तथा मत-विभाजन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों और विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

लोक सभा में मतदान तथा मत-विभाजन

सभा का निर्णय

यदि किसी मामले में सभा का निर्णय अपेक्षित हो, तो उस पर निर्णय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछ कर किया जाता है। वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर पीठासीन अधिकारी प्रश्न को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता/करती है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे 'हां' और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे 'न' कहने के लिए कहा जाता है; और इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहता/कहती है, मैं समझता/समझती हूं कि हां (या न, यथास्थिति) वालों का बहुमत है। यदि पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की जाती तो वह दो बार कहता/कहती है कि 'हां' (या 'न' यथास्थिति) वालों का बहुमत है; और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रश्न तदनुसार निर्णीत किया जाता है। यदि पीठासीन अधिकारी की इस राय पर किसी सदस्य द्वारा यह कहकर आपत्ति की जाती है कि ''न (या हां) वालों का बहुमत है'' तो पीठासीन अधिकारी निदेश देता/देती है कि लॉबी को खाली कराया जाये।

मत-विभाजन घंटियों का प्रचालन

2. पीठासीन अधिकारी द्वारा यह निदेश दिये जाने पर कि लॉबी को खाली कराया जाये, मत-विभाजन घंटियां बजाई जाती

हैं। लोक सभा और राज्य सभा की मत-विभाजन घंटियां क्रमश: हरे और लाल रंग की हैं और वे संसद् भवन के विशेषकर समिति कक्षों, ग्रंथालय, डाक-घर, अल्पाहार कक्षों, इत्यादि के समीप, सभी तलों पर लगाई गई हैं। मत-विभाजन घंटियों की आवाज संसदीय सौध तथा संसदीय ग्रंथालय भवन के सभी तलों पर लगे स्पीकरों से सुनाई देती है। जब घंटियां लगातार बजती रहती हैं तो इस बात का द्योतक है कि लोक सभा में मत-विभाजन होने वाला है। (जब घंटियां रुक-रुक कर बजती हैं तो वह इस बात का द्योतक है कि राज्य सभा में मत-विभाजन होने वाला है।) मत-विभाजन की घंटियां साढ़े तीन मिनट तक बजती हैं। ज्यों ही घंटियां बजनी बन्द हो जाती हैं त्यों ही आन्तरिक लॉबी के सभी दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं ताकि मत-विभाजन समाप्त होने तक सभा में इन दरवाजों से न कोई भीतर आ सके और न ही कोई उनसे बाहर जा सके। लॉबी खाली हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी दूसरी बार प्रश्न करता/करती है और घोषणा करता/करती है कि उसकी राय में 'हां' अथवा 'न' का बहुमत है। यदि पीठासीन अधिकारी की उस राय को फिर से चुनौती दी जाती है तो वह मत-विभाजन करवाने का आदेश देता/देती है।

मत-विभाजन

3. मत-विभाजन करवाने की तीन प्रणालियां हैं, अर्थात् (एक) स्वचालित मत अभिलेख यंत्र द्वारा; (दो) सभा में 'हां' और 'न' पर्चियां वितरित करके; और (तीन) सदस्य द्वारा लॉबी

में जाकर। तथापि, जबसे स्वचालित मत अभिलेख यंत्र लगा दिया गया है तब से लॉबी में जाकर मतदान करने की प्रणाली अप्रचलित हो गई है। गत दो दशकों से इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है।

4. नई लोक सभा के गठन के कुछ दिनों के पश्चात् सभी सदस्यों को सभा में स्थान, जो वही होता है जो मत-विभाजन संख्या होती है, आवंटित कर दिया जाता है। यह आवश्यक है कि सदस्य न केवल अपने आवंटित स्थान से बोले बल्कि मत-विभाजन होने पर उसी स्थान से मतदान करे ताकि मतदान के प्राप्त परिणामों की सही स्थिति का पता चले।

स्वचालित मत-अभिलेखन यंत्र द्वारा मत-अभिलेखन

5. स्वचालित मत-अभिलेखन यंत्र प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक सदस्य अपना मतदान अपने नियत स्थान से इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये बटन विशेष को दबाकर करता/करती है। प्रत्येक सदस्य की सीट पर एक पुश बटन सेट लगाया गया है जिसमें एक द्योतक बत्ती और चार पुश बटन—एक हरे रंग का बटन 'हां' के लिए, एक लाल बटन 'न' के लिए, पीला बटन 'मतदान में भाग न लेने के लिए' और उजला बटन 'उपस्थित' के लिए और इसके साथ-साथ मतदान आरम्भक स्विच लगा हुआ है।

6. जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मत-विभाजन का आदेश दिया जाता है, तो महासचिव, जिसकी मेज पर स्वचालित मतदान

यंत्र को चलाने के लिए एक ''टच स्क्रीन'' लगा हुआ है, प्रणाली को सक्रिय करता/करती है। प्रणाली सक्रिय होते ही एक घंटा बजता है जो सदस्यों के लिए मतदान करने का संकेत होता है। प्रत्येक सदस्य को एक हाथ से मतदान आरम्भक स्विच दबाना होता है और उसके बाद दूसरे हाथ से अपनी इच्छानुसार तीनों पुश बटनों में से एक को दबाना होता है। दस सेकण्ड के पश्चात् घंटा दूसरी बार बजता है और तब तक पुश बटन और मतदान आरम्भक स्विच को एक साथ दबाये रखना जरूरी है। 10 सेकण्ड के समय के बीतने की जानकारी प्रेस-गैलरी के दोनों तरफ दोनों कोनों में लगे हुए समग्र परिणाम सूचक बोर्ड पर प्रदर्शित होती रहती है। मतदान में कोई गलती होने पर कोई भी सदस्य दूसरी बार घंटा बजने से पहले मतदान आरम्भक बटन को दबाने के साथ-साथ सही बटन को दबाकर अपने मत में सुधार कर सकता/सकती है। प्रत्येक सदस्य के स्थान पर पुश बटन सैट, में एक लाल बत्ती होती है जो बटन और मतदान आरम्भक स्विच के दबाने के साथ जल उठेगी और इस बत्ती का जलना इस बात का द्योतक है कि मत को यंत्र द्वारा अभिलिखित कर लिया गया है।

7. सभा कक्ष में अध्यक्षपीठ के आसन के दोनों ओर दीवार पर दो व्यक्तिगत परिणाम-सूचक स्क्रीन लगे हुए हैं। सभा में तय सीट व्यवस्था के अनुसार स्क्रीन पर सीट संख्या दर्शायी जाती है। सदस्य द्वारा पुश बटन और मतदान आरम्भक स्विच दबाते ही स्क्रीन पर सदस्य की सीट से संबंधित बत्ती जल उठेगी। यदि मत 'हां'

में होगा तो बत्ती हरी होगी, 'न' में होगा तो लाल और 'मतदान में भाग न लेने' की स्थिति में पीली तथा 'उपस्थित होने' की स्थिति में उजली होगी।

8. दस सेकण्ड समाप्त होने के तुरन्त बाद ऑडियो अलार्म बजता है परिणाम सूचक बोर्डों और व्यक्तिगत परिणाम सूचक स्क्रीनों पर 'हां', 'न' और 'मतदान में भाग न लेने वालों' का कुल योग और उन सदस्यों की संख्या का, जिन्होंने अपने पुश बटन का प्रयोग करके मतदान किया है, कुल योग भी आ जाता है।

9. तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है। केवल उन मामलों में, जिनमें मत-विभाजन के आंकड़ों में बहुत कम अन्तर होता है, सदस्य द्वारा अभिलिखित शुद्धियों को, यदि कोई हों, जैसा कि अगले पैरा में बताया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित करने से पूर्व उसमें जोड़ दिया जाता है या उसमें से घटा दिया जाता है। अन्य मामलों में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्क्रीन पर यथाशीघ्र प्रदर्शित परिणाम को सशर्त घोषित किया जाता है कि इसमें शुद्धि की जा सकती है और सदस्यों द्वारा सूचित शुद्धियों को मुद्रित वाद-विवाद में यथासमय शामिल कर लिया जाता है।

10. ऐसे प्रत्येक मत-विभाजन के परिणाम की मुद्रित प्रति की एक प्रति, सदस्यों द्वारा विभाजन क्लर्कों की मार्फत दर्ज कराई गई शुद्धियों के साथ, यथाशीघ्र बाहरी लॉबी के सूचना-पट पर

लगाई जाती है, जिससे कि सदस्य यह देख सकें कि क्या उनका मत ठीक दर्ज किया गया है। मुद्रित प्रति में कोई अशुद्धि दिखाई देने पर सदस्यों को अविलम्ब लिखित रूप में इसकी सूचना महासचिव को देनी चाहिए।

स्वचालित मत अभिलेखन यंत्र के द्वारा सदस्यों द्वारा दिये गये मतों में शुद्धियां

11. यदि कोई सदस्य बटन दबाकर किसी पर्याप्त कारण से अपना मत दर्ज न करा सका/सकी हो, तो वह अध्यक्षपीठ की अनुमति से, विभाजन का परिणाम घोषित होने से पूर्व, अपना मत दर्ज करा सकता/सकती है। यदि कोई सदस्य देखता/देखती है कि उसने गलत बटन दबाकर गलत मत दे दिया है अथवा गलत स्थान से मत दिया है तो उसे अपनी भूल सुधारने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह विभाजन के परिणाम की घोषणा होने से पूर्व इसकी सूचना अध्यक्षपीठ को देता/देती है।

12. स्वचालित मत अभिलेखन यंत्र द्वारा दिये गये मतों में शुद्धियां कराने के लिए निम्नलिखित शुद्धि-पर्चियां उपलब्ध हैं:—

(एक) **गलत स्थान से दिए गये मत में शुद्धि कराने की पर्ची**—यह पर्ची सफेद कागज पर छापी गई है और इसका प्रयोग उस सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसने गलत स्थान से अपना मत दिया हो (अर्थात् उस स्थान से जो किसी अन्य सदस्य के लिए नियत है)।

(दो) **'हां' में मत दर्ज कराने की पर्ची**—यह पर्ची हरे कागज पर छापी गयी है और इसका उपयोग सदस्य द्वारा 'हां' में मत दर्ज कराने के लिए किया जायेगा, यदि यंत्र द्वारा उसका मत दर्ज नहीं किया गया है अथवा उसे 'नहीं' में दिये मत अथवा 'मतदान में भाग न लेने' के मत में यथास्थिति शुद्ध करके 'हां' में दिया गया मत दर्ज कराना है।

(तीन) **'नहीं' में मत दर्ज कराने की पर्ची**—यह पर्ची गुलाबी कागज पर छापी गई है और इसका प्रयोग सदस्यों द्वारा 'नहीं' में मत दर्ज कराने के लिए किया जायेगा, यदि यंत्र द्वारा उसका मत दर्ज नहीं किया गया है अथवा 'हां' या 'मतदान में भाग न लेने' के मत में यथास्थिति शुद्धि करके उसे 'नहीं' में दिया मत दर्ज कराना है।

(चार) **'मतदान' में भाग न लेने की पर्ची**—यह पर्ची पीले कागज पर छापी गई है और सदस्य द्वारा 'मतदान में भाग न लेने' के लिए इसका प्रयोग किया जायेगा, यदि यंत्र द्वारा उसका मत दर्ज नहीं किया गया है अथवा उसे 'हां' या 'नहीं' में दिये गये मत को 'मतदान में भाग न लेने' में बदलना है।

ये पर्चियां एक ओर अंग्रेजी में और दूसरी ओर हिन्दी में छापी गईं हैं।

7

13. यंत्र द्वारा मत दर्ज हो जाने और व्यक्तिगत परिणाम-सूचक स्क्रीनों पर आ जाने के तुरन्त बाद, यदि किसी सदस्य ने गलत स्थान से अपना मत दिया हो, अथवा उसका मत यंत्र द्वारा दर्ज न किया गया हो अथवा उसने गलती से गलत मत दे दिया हो और वह व्यक्तिगत परिणाम-सूचक स्क्रीनों पर दर्शाये गये परिणाम में शुद्धि करना चाहता हो, तो उसे अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, जिसके तुरन्त पश्चात् विभाजन क्लर्क चार पर्चियों में से एक पर्ची, सदस्य को उसकी इच्छानुसार, देगा।

14. संबंधित सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या उसका इच्छित मत वस्तुतः व्यक्तिगत परिणाम सूचक स्क्रीनों पर गलत दर्शाया गया है। सन्देह होने पर सदस्य को पटल अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। शुद्धि कराने के इच्छुक सदस्य को अपेक्षित शुद्धि-पर्ची ठीक-ठीक और सभी प्रकार से पूरी तरह भरकर अविलम्ब विभाजन क्लर्क को देनी चाहिए। शुद्धि-पर्ची भरते समय उसके वे अंश स्पष्टतः काट दिये जाने चाहिए, जो लागू न होते हों।

गुप्त मतदान

15. गुप्त मतदान, यदि कोई हो, उसी प्रकार किया जाता है, सिवाय इसके कि लैम्प-फील्ड तथा मशीन रूम में बोर्ड पर लगा बल्ब केवल सफेद प्रकाश फेंकता है, जिससे यह प्रकट होता है कि मत अभिलिखित कर लिया गया है।

पर्चियों के वितरण द्वारा मतों का अभिलेखन

16. 'हां' या 'नहीं' पर्चियों पर सदस्यों के मतों के अभिलेखन का तरीका सामान्यतया निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनाया जाता है:—

(1) स्वचालित मत अभिलेखन यंत्र का संचालन अकस्मात बन्द हो जाने के कारण; तथा

(2) नई लोक सभा के आरम्भ होने पर, सदस्यों को स्थानों/ विभाजन संख्याओं का आवंटन किये जाने से पूर्व।

17. जब कभी, उपरोक्त ढंग से विभाजन कराना आवश्यक हो, तो सदस्यों को उनके स्थानों पर अपने मतों के अभिलेखन के लिए 'हां', 'नहीं' या 'मतदान में भाग न लेने' की मुद्रित पर्चियां दी जाती हैं। 'हां' वाली पर्ची एक ओर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में हरे रंग में मुद्रित होती है और उसके दूसरी ओर लाल रंग में 'नहीं' वाली पर्ची मुद्रित होती है। सदस्यों को इन पर्चियों पर उपयुक्त स्थानों पर स्पष्ट रूप से अपने नाम, विभाजन संख्याएं तथा तिथि लिखकर और हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार अपने मत अभिलिखित कराने होते हैं।

18. जो सदस्य किसी पक्ष में भी मतदान न करना अभिलिखित करना चाहते हैं, वे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पीले रंग में पृथक मुद्रित ''किसी भी पक्ष में मतदान न कराने की पर्ची''

भर सकते हैं। ये पर्चियां विभाजन लिपिकों से मांग कर प्राप्त की जा सकती हैं।

19. मतों का अभिलेखन होने के पश्चात्, विभाजन लिपिक प्रत्येक सदस्य से पर्चियां एकत्र करते हैं और सभा पटल में बैठे अधिकारियों द्वारा इनकी गणना की जाती है। इस प्रकार जो परिणाम निकलता है, उसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्येक सदस्य के मतदान का विवरण तथा प्रत्येक विभाजन के अंतिम परिणाम का विवरण मुद्रित वाद-विवाद में सम्मिलित किया जाता है।

औपचारिक विभाजन की बजाय सदस्यों की उनके स्थानों पर वास्तविक गणना

20. यदि पीठासीन अधिकारी की राय में, विभाजन की अनावश्यक मांग की गई है, तो वह 'हां' तथा 'नहीं' पक्ष वाले सदस्यों से क्रमश: अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कह सकते/सकती हैं और गिनती होने के बाद वह सभा के निश्चय की घोषणा कर सकते/सकती हैं। ऐसे मामले में सदस्यों के मतदान के विवरण का अभिलेखन नहीं किया जाता है।

संविधान (संशोधन) विधेयक

21. जब किसी प्रस्ताव के लिए सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के

दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है, तो तत्संबंधी मतदान विभाजन द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत मतदान करने वाले सदस्यों के नाम तथा उनके मतदान का तरीका अभिलिखित किया जाता है।

निर्णायक मत

22. यदि किसी विभाजन में 'हां' तथा 'नहीं' पक्षों के मतों की संख्या समान हो, तो उसका निर्णय पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत द्वारा किया जाता है।

23. संविधान के अंतर्गत, अध्यक्ष अथवा उसके रूप में काम करने वाला व्यक्ति किसी विभाजन में मतदान नहीं कर सकता, उसका केवल निर्णायक मत होता है, जिसका प्रयोग उसे मतों के समान होने पर अनिवार्यत: करना चाहिए।

सभा के विचाराधीन मामलों में निजी, आर्थिक तथा प्रत्यक्ष हित-बद्धता

24. सभा के विचाराधीन किसी मामले में यदि किसी सदस्य की निजी, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित-बद्धता हो, तो उस मामले से संबंधित वाद-विवाद में भाग लेते समय अपनी हित-बद्धता के स्वरूप की घोषणा करनी होती है। ऐसे सदस्य के मत को, विभाजन होने के तुरन्त बाद तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व चुनौती दी जा सकती है। ऐसे मामले में, यदि पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझता/समझती है, तो वह चुनौती

देने वाले सदस्य को अपनी आपत्ति के कारण ठीक-ठीक बताने के लिए तथा जिस सदस्य के मत को चुनौती दी गई है उसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कह सकता/सकती है और तत्पश्चात् यह निर्णय कर सकता/सकती है कि सदस्य के मत को गिना जाये अथवा नहीं। इस विषय में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।

25. कुछ महत्वपूर्ण परम्पराएं, जो किसी विभाजन की प्रक्रिया के दौरान अपनायी जाती हैं, ये हैं:—

(1) सामान्यतया जब किसी प्रस्ताव पर विभाजन कराने का आदेश दिया जाता है और घंटियां बज रही होती हैं, तो उस पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती। तथापि सभा के समक्ष मामले से संबंधित स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति एक अथवा दो सदस्यों को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वविवेक से दी जा सकती है।

(2) विभाजन घंटियों का बजना बन्द होने के तुरन्त पश्चात् लॉबी द्वारों को बन्द कर दिये जाने के बाद किसी सदस्य को सभा में प्रवेश करने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं होता।

(3) जब एक के बाद दूसरे कई विभाजन किए जाने हों तो बार-बार लॉबियों का खाली कराना आवश्यक नहीं है।

(4) किसी विभाजन के दौरान सभा में किसी ऐसे मंत्री की उपस्थिति, जो राज्य सभा का सदस्य हो और जिसका चर्चाधीन विषय से संबंध न हो, पर किसी नियम के अंतर्गत कोई रोक नहीं है, किन्तु बेहतर यही होगा कि वह उपस्थित न रहे, ताकि बाद में कोई आपत्ति न उठाई जा सके।

(5) यदि कोई विभाजन कराने हेतु लॉबियों को खाली कराये जाने के बाद स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा देखा जाता है अथवा उसका ध्यान दिलाया जाता है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है, तो सभा को स्थगित किया जा सकता है तथा विभाजन को रोका जा सकता है।

(6) विभाजन घंटियां केवल सदस्यों की सुविधा के लिए होती हैं। सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि वे विभाजन के समय अपने मत अभिलिखित कराने के लिए उपस्थित रहें।

इस पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि विभाजन घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं दीं।

[सभा में मतदान कराने तथा मत-विभाजन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 100(1) तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 367, 367क, 367कक तथा 367ख के अन्तर्गत विनियमित हैं।]

13